न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ,लखीमपुर खीरी
आसीनः–सुनील प्रसाद.....उ0प्र0न्यायिक सेवा।

मुकदमा सं0 137/19
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0 एल0पी0–

सरकार उ0प्र0 ————————————————अभियोगी
बनाम
1– संजय पुत्र द्वारिका निवासी जहानपुर थाना गोला जिला खीरी ।
———————————— अभियुक्त।

मु0अ0सं0 361/17
धारा 60/63 आबकारी अधिनियम
थाना–गोला
जिला–खीरी।

निर्णय

आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–5 गोला जिला खीरी द्वारा मु0अ0सं0 361/17 अन्तर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त संजय के विरूद्ध आरोप–पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–5 गोला खीरी मय हमराही सहित मोहल्ला जहानपुर कस्बा व थाना गोला जिला खीरी में अवैध शराब बनाने की सूचना पर पहुॅचकर गॉव में जॉच की गयी, जॉच के दौरान अभियुक्त संजय पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी मो0 जहानपुर थाना गोला जिला खीरी के पास से एक पिपिया में लगभग 2.5 लीटर अवैध कच्ची शराब खाम अभियुक्त के पास से बरामद किया जिसको रखने का लाइसेंस मॉगा तो नहीं दिखा सकी। बरामद शुदा शराब को रूबरू गवाहान सर्वमोहर किया गया। फर्द मौके पर तैयार की गयी। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी।

आबकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अभियोग–पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया । न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त के विरूद्ध बयान मुलजिम बनाया गया अभियुक्त ने घटना से इनकार किया एवं विचारण की मॉग की।

अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू–1 का0 विपिन कुमार आबकारी सिपाही, आबकारी विभाग को परीक्षित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः अपराध को सावित करने हेतु साक्षियों को तलब किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अभियुक्त का बयान 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा बयान 313 दं0प्र0सं0 में अपराध को स्वीकार करते हुए मुकदमा सही चलाये जाने का कथन किया गया।

अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया गया है अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर

अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के अपराध का दोषसिद्ध किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त संजय को मु0अ0सं0 361/17 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना गोला जिला खीरी में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाय।

दिनांक–16–2–2019

(सुनील प्रसाद),
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर खीरी।

सजा के प्रश्न पर अभियुक्त को सुना गया।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया है कि अधिक से अधिक सजा से दण्डित किया जाय। बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त महिला है तथा घर का अकेली है उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है अभियुक्त ने स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया है । अतः कम से कम सजा से दण्डित किये जाने का अनुरोध किया गया ।

सुना ,पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त द्वारा लम्बित चल रहे विचारण की कार्यवाही में भाग लिया गया है। अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वयं स्वीकार किया है। अभियुक्त द्वारा स्वयं जुर्म को स्वीकार करने के तथ्य को देखते हुए अभियुक्त निम्न कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा

आदेश

अभियुक्त संजय को अन्तर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा व मु0 2500/–रू0(दो हजार पॉच सौ रूपया) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । बरामदशुदा अवैध शराब बाद मियाद नियमानुसार नष्ट की जाय।

दिनांक, 16–2–2019

(सुनील प्रसाद)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर–खीरी।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक, 16–2–2019

(सुनील प्रसाद)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर–खीरी।